# आपदा समुत्थानशील अवसंरचना पर गठबंधन (सीडीआरआई)

# *का घोषणापत्र*

---

## अनुच्छेद 1

### *गठबंधन की स्थापना*

1.1 हम, संस्थापक सदस्य, जिन्होंने इस घोषणापत्र का समर्थन किया है, इसके द्वारा आपदा समुत्थानशील अवसंरचना पर गठबंधन की स्थापना की है (इसके बाद में इसे "सीडीआरआई" के रूप में जाना जाता है)। सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहु-पक्षीय विकास बैंकों और वित्तीय तंत्रों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य अवसंरचना प्रणाली के लिए जलवायु और आपदा जोखिमों के लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए सतत विकास सुनिश्चित करना है।

1.2 सीडीआरआई का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित होगा।

## अनुच्छेद 2

### *सदस्यता*

2.1 देश और अन्य हितधारक जिन्होंने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया है वे सीडीआरआई के संस्थापक सदस्य होंगे।

2.2 आगामी सदस्य घोषणापत्र को अपना समर्थन देंगे और सीडीआरआई के शासी परिषद के सह-अध्यक्षों के साथ सीडीआरआई के सदस्य होने के लिए अपना अनुरोध प्रस्ताव रखेंगे। सह-अध्यक्ष, शासी परिषद के समक्ष आगामी सदस्यों के अनुरोध का प्रस्ताव रखेंगे और नई सदस्यता पर निर्णय लेने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे।

## अनुच्छेद 3

## *गठबंधन का विजन, मिशन और मार्गदर्शक सिद्धांत*

3.1 सीडीआरआई तेजी से विकास का विस्तार करने और लचीले अवसंरचना का पुन:संयोजन करना चाहता है। सतत विकास के लक्ष्यों पर जवाब देने के लिए मूलभूत सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच में विस्तार करना तथा सतत विकास के लक्ष्यों में प्रतिष्ठापित समृद्धि को समर्थ बनाना है। इसे स्थानीय और राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक पैमाने पर त्वरित और विस्तारित जलवायु कार्रवाई तथा आपदा जोखिम में कमी लाने के करने के साथ-साथ लागू करने की आवश्यकता होगी।

3.2 सीडीआरआई सतत विकास के लक्ष्यों में निहित लक्ष्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन करता है, जिसमें पेरिस जलवायु करार, आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 का सिद्धांत है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान और पारिस्थितिकीय को पीछे न छोड़ना मूल मंत्र है।

3.3 सीडीआरआई का मिशन, मौजूदा और भविष्य में आपदा प्रबंधन अवसंरचना और जलवायु के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए और अपने तंत्र को मजबूत और उन्नत करने के लिए देशों की सहायत करेगा। इसके लिए सतत विकास के लक्ष्यों, पेरिस जलवायु समझौता और सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ पूरी तरह से संरेखित किया जाएगा। सीडीआरआई निम्न रूप से इस मिशन को आगे बढ़ाएगा :

(i) सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाना, लचीले अवसंरचना तंत्र के लाभों के लिए, और उसे प्राप्त करने के लिए अन्य उपयुक्त उपक्रमों के साथ संबंध बनाना;

(ii) एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करना जहां ज्ञान उत्पन्न होता है और उसका आदान-प्रदान आपदा और जलवायु लचीले अवसंरचना के कई आयामों पर होता है;

(iii) अवसंरचना प्रणालियों की योजना, डिजाइन, संचालन और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रूप से उपयुक्त मानकों, कोड, विनिर्देशों और दिशानिर्देशों को बढ़ाना;

(iv) आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से अवसंरचना के नुकसान को कम करने और इसके परिणामस्वरूप मूल सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों में आने वाली रुकावट को कम करने के लिए क्षमताओं और व्यवहार में वृद्धि करना;

(v) लचीले अवसंरचना तंत्र के लिए तकनीकी और संस्थागत नवाचार को सक्षम बनाना;

(vi) देशों को उनकी आपदा और जलवायु जोखिमों और संसाधनों के अनुसार लचीली अवसंरचना को विकसित करने में सहायता करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना;

(vii) जोखिम हस्तांतरण सहित वित्तीय व्यवस्था हेतु समर्थन करना, जो लचीली अवसंरचना के विकास का समर्थन करते हैं; और

(viii) अवसंरचना को लचीला बनाने के लिए उपयुक्त जोखिम शासन व्यवस्था और रणनीतियों को अपनाने में देशों की सहायता करना।

3.4 सीडीआरआई की कार्य प्रणाली हमेशा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित की जाएगी :

(i) *राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों की प्रधानता की मान्यता:* जैसाकि देश कई क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण के लिए निवेश करते हैं, सीडीआरआई बेहतर मानकों, कोड और नियमों को बढ़ावा देगा, जो राष्ट्रीय और स्थानीय संदर्भों और प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील होंगे।

(ii) *अति संवेदनशील क्षेत्रों और आबादी पर ध्यान केन्द्रित करना:* अपने मिशन के अनुसरण में, सीडीआरआई बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों सहित अतिसंवेदनशील क्षेत्रों और आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

(iii) *देश विशेष से संबंधित तथा वैश्विक कार्यकलापों का मिश्रण:* सीडीआरआई किसी देश द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट मुद्दों पर काम करेगा और साथ ही वैश्विक और सीमा-पार अवसंरचना के लचीलेपन सहित व्यापक मुद्दों पर भी काम करेगा। यह एक लचीला दृष्टिकोण अपनाएगा और उस पर रखी गई मांगों के आधार पर अपने काम के पैमाने और दायरे को समायोजित करेगा।

(iv) *ज्ञान और विशेषज्ञता के लिए सूचना-प्रसार केंद्र के रूप में कार्य:* सीडीआरआई लचीली अवसंरचनाओं में सुधार के लिए दुनिया भर में शोध सुविधाओं, शिक्षाविदों और परामर्श समूहों से ज्ञान, विशेषज्ञता, तकनीकी, संस्थागत और सामाजिक नवाचारों के लिए दस्तावेज बनाएगा और उसे व्यवस्थित करने के लिए कार्य करेगा। सीडीआरआई विकासशील देशों की जरूरतों पर जोर देने के साथ लचीले अवसंरचना में ज्ञान और विशेषज्ञता के लिए एक सूचना-प्रसार केंद्र होगा।

(v) *समग्र जोखिम को कम करने के लिए कार्य:* सीडीआरआई निम्नलिखित आपदाओं सहित, अवसंरचना तंत्र में जोखिम कम करने के लिए और जलवायु कार्रवाई करने के लिए सभी आयामों पर कार्रवाई करने के लिए बढ़ावा देगा।

(vi) *समावेशी और विचारशील प्रक्रिया:* सीडीआरआई विभिन्न देशों और हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए समावेशी और विचारशील प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा।

## अनुच्छेद 4

## *शासन व्यवस्था*

4.1 सचिवालय के लिए शासन व्यवस्था में तीन प्रमुख निकाय शामिल होंगे, जिसमें शासी परिषद, कार्यकारी समिति और सचिवालय शामिल है।

## अनुच्छेद 5

## *शासी परिषद*

5.1 शासी परिषद सीडीआरआई का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय होगा। इसमें गठबंधन के सभी सदस्य शामिल होंगे।

5.2 शासी परिषद के सदस्यों को सदस्य देशों, बहुपक्षीय संगठनों और अन्य हितधारकों को सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा, इस तरह से कि शासी परिषद के कम से कम दो-तिहाई सदस्य राष्ट्रीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

5.3 शासी परिषद के सदस्य आमतौर पर राष्ट्रीय सरकारों में मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुखों, और अन्य हितधारक संस्थाओं के प्रमुख के स्तर पर होंगे।

5.4 शासी परिषद की सह-अध्यक्षता दो राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधि करेंगे।

5.5 भारत शासी परिषद का स्थायी सह-अध्यक्ष होगा।

5.6 अन्य सह-अध्यक्ष को प्रत्येक दो वर्ष में शासी परिषद के सदस्यों द्वारा बारी-बारी से नामित किया जाएगा।

5.7 सीडीआरआरआई की सदस्यता का विस्तार होते ही शासी परिषद के शासन संरचना में संशोधन किया जा सकता है।

5.8 शासी परिषद आमतौर पर साल में एक बार बैठक करती है।

5.9 शासी परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे:

(i) सीडीआरआई के कार्य को समग्र रणनीतिक दिशा प्रदान करना;

(ii) नीति-निर्माण निकाय के रूप में कार्य करना और सीडीआरआई के कामकाज की निगरानी करना;

(iii) सीडीआरआई में नए सदस्यों को शामिल करने के साथ-साथ आम सहमति से इस घोषणापत्र में संशोधन करने के लिए मंजूरी देना;

(iv) सीडीआरआई द्वारा संसाधन जुटाने के प्रयासों का नेतृत्व करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय संसाधन उसके उद्देश्यों और अधिदेश के अनुरूप हों;

(v) सीडीआरआई की कार्य योजनाओं, मानव संसाधन योजनाओं और बजट को मंजूरी देना;

(vi) सीडीआरआई की कार्यकारी समिति के सदस्यों की नियुक्ति करना;

(vii) सीडीआरआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समर्थन प्रदान करना;

(viii) अन्य वैश्विक पहलों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बनाने के लिए सहायता करना जो सीडीआरआई के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

## अनुच्छेद 6

## *कार्यकारी समिति*

6.1 कार्यकारी समिति सीडीआरआई के प्रबंधकीय निकाय के रूप में होगी जो शासी परिषद के निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। कार्यकारी समिति के सदस्य सीडीआरआई के कार्य को बहु-अनुशासनात्मक परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

6.2 कार्यकारी समिति के सदस्यों की कुल संख्या दस होगी, जिसमें से नौ सदस्य भाग लेने वाले देशों, बहुपक्षीय संगठनों और अन्य हितधारक संगठनों द्वारा प्रत्यायुक्त (delegated) किए जाएंगे। सीडीआरआई सचिवालय का नेतृत्व करने वाले महानिदेशक दसवें सदस्य होंगे।

6.3 कार्यकारी समिति के दो सदस्यों द्वारा दो वर्षों के लिए बारी-बारी से सह-अध्यक्षता करेंगे।

6.4 कार्यकारी समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे:

(i) सचिवालय को सभी परिचालन मुद्दों पर निर्देश प्रदान करना;

(ii) संसाधन जुटाने और प्रबंधन, परियोजनाओं, नियुक्ति, खरीद और साझेदारों और हितधारकों के साथ अनुबंध सुनिश्चित करना;

(iii) सचिवालय द्वारा सीडीआरआई की कार्य योजना की तैयारी के लिए पर्यवेक्षण करना;

(iv) सीडीआरआई की सभी प्रमुख परियोजनाओं और अनुदानों को मंजूरी देना;

(v) समय-समय पर सीडीआरआई के बाहरी वित्तीय लेखा परीक्षा और परिणाम मूल्यांकन के लिए नियुक्त करना; और

(vi) सीडीआरआई सचिवालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए प्रासंगिक मुद्दों पर निर्णय लेना।

6.5 कार्यकारी समिति आमतौर पर एक वर्ष में दो बार बैठक करेगी।

## अनुच्छेद 7

## *सचिवालय*

7.1 सीडीआरआई के सचिवालय की अध्यक्षता शासी परिषद द्वारा नियुक्त महानिदेशक करेंगे।

7.2 सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

7.3 सचिवालय में चार विभाग होंगे, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व निदेशक करेंगे, जो महानिदेशक के नेतृत्व में और कार्यकारी समिति के मार्गदर्शन में काम करेंगे :

(i) तकनीकी सहायता और क्षमता विकास

(ii) अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन

(iii) समर्थन और साझेदारी

(iv) सचिवालय संचालन एवं प्रबंधन

7.4 सचिवालय के कार्य इस प्रकार होंगे :

(i) शासी परिषद और कार्यकारी समिति के कामकाज का समर्थन करना;

(ii) सीडीआरआई के कार्य कार्यक्रम, बजट, मानव संसाधन योजना और संसाधन जुटाने की योजना को विकसित और कार्यान्वित करना;

(iii) विशिष्ट मुद्दों या परियोजनाओं के समाधान के लिए समयबद्ध तकनीकी कार्य समूहों, समितियों या विशेषज्ञों के कार्य बलों का गठन करना;

(iv) परियोजनाओं और अनुदानों को विकसित और कार्यान्वित करना;

(v) बाहरी वित्तीय लेखा परीक्षा और परिणामी मूल्यांकनों के लिए सहायता करना;

(vi) सभी आधिकारिक सीडीआरआई के पत्राचार को जारी रखने के लिए, दस्तावेज और रिपोर्ट को तैयार करना तथा आवश्यकतानुसार कार्यकारी समिति का समर्थन करना;

(vii) कार्यकारी समिति द्वारा सौंपे गए अपने मिशन को पूरा करने में सीडीआरआई का समर्थन करने के लिए आवश्यकतानुसार कोई अन्य कार्य करना।

## अनुच्छेद 8

## *वित्त पोषण (फंडिंग) की व्यवस्था*

8.1 सदस्य देश, कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से, सीधे या अपनी विकास एजेंसियों/विभागों के माध्यम से, सीडीआरआरआई को स्वैच्छिक वित्तीय या वस्तुनिष्ठ रूप से योगदान देंगे, जैसे कि राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों को सीडीआरआई सचिवालय में काम करना, विषयगत कार्यशालाओं और बैठकों की मेजबानी करना, और यात्रा के लिए सहायता करना।

8.2 सीडीआरआई सचिवालय के पास दो निधियां होगीं: सचिवालय निधि और न्यास निधि। सदस्य किसी एक या दोनों ही निधियों में वित्तीय योगदान कर सकते हैं।

8.3 सचिवालय निधि, सचिवालय की मुख्य परिचालन लागत को कवर करेगा। सीडीआरआई सचिवालय, सचिवालय निधि के लिए एक वित्तीय संवहनीयता योजना को विकसित करेगा।

8.4 ट्रस्ट फंड एक अंतरराष्ट्रीय और बहु-दाता न्यास निधि (ट्रस्ट फंड) होगा जो सीडीआरआई के कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण का उपयोग किया जाएगा। इसे कार्यकारी समिति की ओर से सचिवालय द्वारा शासित किया जाएगा और इसे एक ट्रस्ट फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जिसे संयुक्त राष्ट्र और उचित बहु-पक्षीय एजेंसियों के बीच एक ओपन कॉल (open call) के माध्यम से चुना जाएगा।

8.5 सीडीआरआई बहु-हितधारकों की साझेदारी को सक्षम करने के लिए एक साझेदारी ढांचा स्थापित करेगा। इसका वित्तपोषण सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा बाहरी निधियों के माध्यम से किया जाएगा, जिसका उपयोग सचिवालय के निधियों द्वारा उपयुक्त रूप से किया जा सकता है ।

## अनुच्छेद 9

## *सीडीआरआई के कार्यक्रम*

9.1 *तकनीकी सहायता और क्षमता विकास:* यह कार्यक्रम तकनीकी सहायता प्रदान करने और संस्थागत नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहु-देशीय परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देगा। इसमें क्षमताओं का विकास और जोखिम शासन (Risk governance) के परिणामों में सुधार और अवसंरचना के लचीलेपण के लिए वित्तपोषण शामिल होगा। इसे प्रमाणिकीकरण के मानकों

और तंत्र निर्माण के माध्यम से तथा आवश्यकतानुसार देशों और संस्थानों में विशेषज्ञों की तैनाती कर उसे सक्षम किया जाएगा।

9.2 *अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन:* इस कार्यक्रम का प्राथमिक केंद्रबिंदु सहयोगात्मक अनुसंधान और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने की ओर होगा, ताकि अवसंरचना को लचीला बनाने के लिए बेहतर कार्य प्रणाली को सक्षम बनाया जा सके। इसमें वैश्विक प्रकाशनों को शामिल करना और विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों के लचीलेपन की स्थिति को जानने के लिए एक साझा डेटाबेस बनाना शामिल होगा।

9.3 *समर्थन और साझेदारी:* यह कार्यक्रम ज्ञान और कार्यान्वयन के लिए साझेदारों के बीच निर्माण किए गए नेटवर्क को बढ़ावा देगा। यह सीडीआरआई सदस्यों द्वारा मुद्रण, प्रसारण और डिजिटल मीडिया के माध्यम से तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पादों का प्रसारण सुनिश्चित करेगा तथा नियमित और रणनीतिक कार्यशालाओं के आयोजन के साथ ही इनके प्रसार को सुनिश्चित करेगा। यह कार्यक्रम अन्य वैश्विक पहलों के साथ सीडीआरआई के कार्यों के एकत्रीकरण को भी बढ़ावा देगा।

## अनुच्छेद 10

## *घोषणापत्र के समर्थन की प्रक्रिया*

10.1 सदस्य देशों की सरकारें और अन्य हितधारकों सहित संस्थापक सदस्य भारत सरकार को एक पत्र लिखकर इस घोषणापत्र का समर्थन कर सकते हैं।

10.2 आगामी सदस्य, शासी परिषद के सह-अध्यक्षों को पत्र लिखकर घोषणापत्र के लिए अपना समर्थन दे सकते हैं।

***